

4-15 पत्रावली पेश हुई वकील उमरपत्र 39061
वास्ते जवाब पत्रावली दि 05-5-15 को
पेश की 02

5-97 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
उमरपत्र उपस्थित है। श्रीमान् P.O. सचिव
द्वारे पर है। अवकाश पर है/कम स्थानांतरण
हो गया है। अतः पत्रावली दि 06-6-15
को पेश हो।

रीडर

12-24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलार्थी/पेश/पेश/अपीलार्थी/उमरपत्र
उपस्थित है/उपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी द्वारा अवकाश पर है/अन्य
कार्य में व्यस्त है/अवकाश पर है/अन्य
कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दि 26-6-15 को पेश हो।

रीडर

32 96-330
191615

26-6-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर में
तलाशदा कैम्प पर पेश हुई। वादीगण तथा प्रतिवादी
चिरंजी उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस माशुका
का पेश किया है कि तहसीलदार गंगापूर ने पक्षकारों
की भूमि की नाप हेतु टीम आवंटित कर दी है।
वादीगण अपना दावा काफिस लेते हैं। आवंटित टीम की
भूमि नाप के अनुसार पक्षकार भूमि पर काबिज
रहेंगे।

Handwritten signatures and initials on the right margin.

प्रस्तुत राजीनामे पर पक्षकारों को खुला
गया। राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामानुसार
वादीगण को दावा काफिस लेने की अनुमति दी जाती
है। पचा डिफ्री जारी किया जाये। पत्रावली फैसलशुमार
होकर अम्बर से कम हो एवं काद तकमील दाखिल
दफतर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य

लोक अदालत
गंगापूर सिटी

(मुनिदेव चाव) अध्यक्ष

लोक अदालत
गंगापूर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(सिविल अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) तलावडा

सिविल अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रघुनन्दनसिंह पुत्र गणपतसिंह, राजपूत निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. हेमेशसिंह पुत्र रघुनन्दनसिंह, राजपूत निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
3. यादवसिंह पुत्र रघुनन्दनसिंह, राजपूत निवासी तलावडा तहसील गंगापुरसिटी ---वादीगण

बनाम

1. चिरंजी पुत्र फैलू, खटीक निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. पांच्या पुत्र कल्ला, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
3. कंदार पुत्र पांच्या, माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 9/2014

वादीगण की ओर से वादी रघुनन्दनसिंह, हेमेशसिंह, यादवसिंह व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी चिरंजी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.6.2015 को मुनिदेव यादव (सिविल अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

उच्च पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
कलेक्टर

वादी	वाद के खर्चे रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	